प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका सं. 368/2025

भोला राम यादव, पिता- स्वर्गीय पवन राम यादव, आयु- लगभग 55 वर्ष, जाति- बरगाह, निवासी- ग्राम केशवपुर, चौकी- मणिपुर, थाना- अंबिकापुर, जिला- सरगुजा छत्तीसगढ़।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना प्रभारी, थाना- अंबिकापुर, जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ़।

..... उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री शक्ति राज सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से : सुश्री बीनू शर्मा, अधीष्ठित अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा

बोर्ड पर आदेश

30/01/2025

1. पक्षों की सहमति से, मामले की सुनवाई अंतिम रूप से की जाती है।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आवेदन द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ. जग.) द्वारा सत्र विचारण सं. 167/2022 में पारित 17.01.2025 दिनांकित आदेश से व्यथित होकर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा द.प्र.सं. की धारा 311 के साथ पठित धारा 91 के तहत प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

3. संक्षेप में प्रकरण यह है कि अ.सा.-01 शिकायतकर्ता ने शिकायत प्र.**P**-01 तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.**P**-02 दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत कथन किया कि घायल/मृतक को तुरंत उपचार के लिए मिशन अस्पताल, अंबिकापुर ले जाया गया था और वहां से उसे आगे के उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया था। शव पंचनामा प्र.**P**-08, तहसीलदार को लिखित शिकायत प्र.**P**-15 और सभी साक्षियों के पुलिस कथनों में कहा गया है कि आहत को चोट लगने के तुरंत बाद उपचार के लिए होली क्रॉस मिशन अस्पताल, अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तर्क करते हैं कि आक्षेपित आदेश वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने में गलती की है, जिसमें संबंधित अस्पताल, अंबिकापुर से उपचार पत्र और उपचार करने वाले चिकित्सक की गवाही आहूत करने की आवश्यकता को नजरअंदाज किया गया है। भर्ती होने पर मृतक की चिकित्सकीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वे दस्तावेज और गवाही आवश्यक हैं। द.प्र.सं. की धारा 311 न्यायालय को विचारण के किसी भी स्तर पर किसी भी साक्षी को आहूत करने या दबारा बुलाने का अधिकार देती है यदि उनका साक्षय न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। अन्वेषण अधिकारी, अ.सा.-12 ने प्रति-परीक्षण के दौरान स्वीकार किया कि अन्वेषण के दौरान होली क्रॉस मिशन अस्पताल से उपचार पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। यह स्वीकारोक्ति अन्वेषण में एक चूक को उजागर करती है, जिसे विचारण न्यायालय याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर, निवारण करने में विफल रही। इसलिए वे 17.01.2025 दिनांकित आक्षेपित आदेश को अपास्त कर न्याय हित में द.प्र.सं. की धारा 311 के साथ पठित धारा 91 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आवेदन को स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं उठाते हैं।

6. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और सभी सुसंगत अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से परिशीलन किया है।

7. यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभियुक्त द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) के समक्ष लंबित सत्र विचारण सं. 167/2022 में जेल में है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा द.प्र.सं. की धारा 311 के साथ पठित धारा 91 के तहत प्रस्तुत एक आवेदन को संबंधित न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह एक अविवादित तथ्य है कि आहत होने के बाद मृतक को तुरंत मिशन अस्पताल, अंबिकापुर में भर्ती कराया गया और उसके बाद उसे आगे के उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया। मृतक का उपचार रायपुर के संबंधित अस्पताल में किया गया था यह अ.सा.-01 के मुख्य परीक्षण की कण्डिका-1 तथा प्रति-परीक्षण की कण्डिका- 7, 9, 14, से स्पष्ट है। अ.सा.-03 ने मुख्य परीक्षण की कण्डिका- 2 और प्रति-परीक्षण की कण्डिका-6 में कहा है कि आहत/मृतक को उपचार के लिए होली क्रॉस अस्पताल, अंबिकापुर में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा, प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी, अ.सा.-12 ने अपने प्रतिप्रति-परीक्षण की कण्डिका-18 में स्वीकार किया है कि मृतक को होली क्रॉस अस्पताल, अंबिकापुर में भर्ती कराया गया है और उक्त साक्षी ने अपने प्रति- परीक्षण की कण्डिका-19 में स्वीकार किया है कि मृतक का उपचार पत्र संबंधित अस्पताल, अंबिकापुर से अन्वेषण के दौरान प्राप्त नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. प्रकरण के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों से पता चलता है कि होली क्रॉस अस्पताल, अंबिकापुर में मृतक/घायल का उपचार करने वाले संबंधित चिकित्सक का उपचार पत्र और गवाही, भर्ती होने पर मृतक की चिकित्सकीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और द.प्र.सं. की धारा 311 न्यायालय को विचारण के किसी भी स्तर में किसी भी साक्षी को आहूत करने (समन करने) या दुबारा बुलाने का अधिकार देती है, जब कोई भी साक्षय प्रकरण के न्यायसंगत निर्णय के लिए उतना महत्वपूर्ण हो।

9. इसलिए, इस प्रकरण में मृतक को पहुँची उपहति के संबंध में होली क्रॉस अस्पताल, अंबिकापुर का उपचार पत्रक और सुसंगत दस्तावेज बहुत ही आवश्यक दस्तावेज हैं जिन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अतः इस न्यायालय का मत है कि याचिकाकर्ता द्वारा

द.प्र.सं. की धारा 311 के साथ पठित धारा 91 के तहत प्रस्तुत वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है।

10. तदानुसार, वर्तमान याचिका को स्वीकार कर उसका निपटारा किया जाता है।

11. वाद- व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur